

## 2020 का विधेयक सं. 7

### **राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020**

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 23 का संशोधन.-** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 23 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 28 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 28 में,-

(i) धारा 28 के विद्यमान उपबंधों को उप-धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा (2) जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई उम्मीदवार जो स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, अपने नामनिर्देशन पत्र में या अपने शपथ पत्र या किसी कथन या, यथास्थिति, किसी घोषणा में, जिसे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामनिर्देशन पत्र के साथ परिदत्त किया जाना अपेक्षित है,-

(i) मिथ्या सूचना देता है जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है; या

(ii) कोई सूचना छिपाता है,

तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।"।

**4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 31 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"31. निर्वाचन याचिका.-** (1) नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली कोई निर्वाचन याचिका, ऐसे निर्वाचन के किसी उम्मीदवार द्वारा या किसी निर्वाचक द्वारा, निर्वाचन की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर, उस नगरपालिक क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष विहित रीति से प्रस्तुत की जा सकेगी।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजन के लिए, "निर्वाचक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस निर्वाचन, जिससे निर्वाचन याचिका संबंधित है, में मत देने का हकदार था, चाहे उसने ऐसे निर्वाचन में मतदान किया हो या नहीं।

(2) निर्वाचन याचिका निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकेगी, अर्थात्:-

- (क) कि निर्वाचित उम्मीदवार निर्वाचन की तारीख को इस अधिनियम के अधीन स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित नहीं था, या निरर्हित था, या
- (ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 29 में विनिर्दिष्ट कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, या
- (ग) कि कोई नामांकन अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया है, या

- (घ) कि उस निर्वाचन का परिणाम, जहां तक उसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है, निम्नलिखित द्वारा तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है-
- (i) किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा, या
- (ii) निर्वाचित उम्मीदवार के हित में, उस उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा कारित किये गये किसी भ्रष्ट आचरण द्वारा, या
- (iii) किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण, नामंजूर या खारिज करके या ऐसे किसी मत को, जो शून्य है, ग्रहण करके, या
- (iv) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या किये गये आदेशों के उपबंधों के किसी अननुपालन द्वारा, या
- (ङ) कि वस्तुतः याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार ने विधिमान्य मतों का बहुमत प्राप्त किया था, या
- (च) कि यदि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से मत अभिप्राप्त नहीं किये जाते तो याचिकाकर्ता या कोई अन्य उम्मीदवार विधिमान्य मतों का बहुमत अभिप्राप्त करता।
- (3) निर्वाचन याचिका की सुनवाई में, जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जायें।"

**5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 159 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 159 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(4) मास्टर विकास योजना, उन विभिन्न जोनों को भी परिभाषित कर सकेगी जिनमें एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका, विकास के प्रयोजनों के लिए विभाजित की जाये और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें विकासात्मक कार्य किये जाने हैं, और

ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें प्रत्येक जोन में भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है (चाहे उसमें विकासात्मक कार्य करते हुए या अन्यथा), और ऐसे प्रक्रम, जिनमें ऐसा कोई विकासात्मक कार्य किया जायेगा और ढांचे के आधारभूत प्रतिमान के रूप में कार्य करेंगे जिनमें विभिन्न जोनों के लिए जोन विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी:

परन्तु नगरपालिका, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकेगी:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार स्व-प्रेरणा से या एक लाख से कम जनसंख्या वाली नगरपालिका के प्रस्ताव पर ऐसी नगरपालिका के लिए जोन विकास योजना और सेक्टर योजना तैयार करने का विनिश्चय कर सकेगी।"।

**6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में धारा 194-क का अंतःस्थापन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 194 के पश्चात् और विद्यमान धारा 195 से पूर्व, एक नयी धारा 194-क अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

**"194-क. कतिपय क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना भवन संनिर्माण प्रतिषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति.-** (1) इस अधिनियम की धारा 194 या किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, लोक हित में, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दी गयी अनुज्ञा के सिवाय, किसी नगरपालिका में किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर-भीतर किसी भवन का संनिर्माण प्रतिषिद्ध कर सकेगा:

परन्तु ऐसी भूमि के मामले में, जो राज्य सरकार या नगरपालिका द्वारा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भवन स्थल के रूप में पृथक् से रखी गयी है, ऐसी अनुज्ञा नामंजूर नहीं की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञा की मंजूरी, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन होगी जैसीकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में नियत की जाये या साधारणतया विहित की जाये।

(3) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबंधों या उप-धारा (2) के अधीन अधिरोपित शर्तों के प्रतिकूल किसी भवन का परिनिर्माण करता है, वह सक्षम न्यायालय द्वारा, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, उप-धारा (1) के उपबंधों या उप-धारा (2) के अधीन अधिरोपित शर्तों के प्रतिकूल परिनिर्मित किसी भवन को तोड़ सकेगा।"।

---

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति को मजबूत करने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में कतिपय संशोधन प्रस्तावित करने का विनिश्चय किया है।

धारा 23 की विद्यमान उप-धारा (2) यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधनों के उल्लंघन के लिए दो हजार रुपये तक के जुर्माने का उपबंध करती है। विद्यमान जुर्माना अत्यल्प प्रतीत होता है। इसलिए, जुर्माने को बढ़ाकर पांच हजार रुपये तक किये जाने का विनिश्चय किया गया है। तदनुसार, धारा 23 की उप-धारा (2) संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

निर्वाचन अपराधों के उपबंध धारा 28 में विद्यमान हैं। किन्तु, यदि कोई उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक उसके नामनिर्देशन पत्र या शपथ-पत्र इत्यादि में मिथ्या सूचना देता है या कोई सूचना छिपाता है तो ऐसी कार्रवाइयों को इस धारा के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं बनाया गया है। इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसी कार्रवाइयों को इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध बनाया जाये। तदनुसार, धारा 28 में इससे संबंधित उपबंध जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

धारा 31 के विद्यमान उपबंधों से यह स्पष्ट नहीं है कि किसी सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका कौन फाइल करेगा। इसको स्पष्ट करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि किसी सदस्य के विरुद्ध निर्वाचन याचिका किसी उम्मीदवार या निर्वाचक द्वारा फाइल की जा सकेगी। इसलिए, धारा 31 तदनुसार संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

नगरपालिका, नगर के नियोजित और समेकित विकास तथा भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नगर का विस्तृत सर्वेक्षण करवायेगी और एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के लिए जोन विकास योजना की तैयारी के लिए, तथा एक लाख से कम की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के मामले में जोन विकास योजना और सेक्टर योजना की तैयारी के लिए, मास्टर विकास

योजना तैयार करेगी। तदनुसार, धारा 159 की उप-धारा (4) यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह भी विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार को, इसके द्वारा दी गयी अनुज्ञा के बिना किसी नगरपालिका में कतिपय क्षेत्रों में भवन का संनिर्माण प्रतिषिद्ध करने के लिए सशक्त किया जाये। तदनुसार, इसके लिए उपबंध करने के लिए एक नयी धारा 194-क अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,  
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.  
18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

23. यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन.-

(1) XX XX

(2) यदि कोई भी उम्मीदवार या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप-धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) से (4) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

28. निर्वाचन अपराध.- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) की धारा 125, 126, 127, 127क, 128, 129, 130, 131, 132, 132क, 133, 134, 134क, 134ख, 135, 135क, 135ख, 135ग और 136 के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो-

(क) उनमें निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के प्रति निर्देश हों,

(ख) उनमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति निर्देश वार्ड के प्रति निर्देश हों,

(ग) धारा 125 और 127 में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अधीन" और धारा 134 तथा 136 में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान नगरपालिका



अधिनियम, 2009 के द्वारा या अधीन" प्रतिस्थापित कर दी गयी हो।

- (घ) धारा 135ख की उप-धारा (1) में शब्दों "लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका का वार्ड" प्रतिस्थापित कर दिये गये हों।

XX

XX

XX

XX

XX

**31. निर्वाचन याचिका.-** (1) नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को नगरपालिक क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष, निर्वाचन की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर प्रश्नगत किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) कि निर्वाचन की तारीख को निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित नहीं था, या निरर्हित था, या
- (ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, धारा 29 में विनिर्दिष्ट कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, या
- (ग) कि कोई नामांकन अनुचित तौर पर खारिज कर दिया गया है, या
- (घ) कि निर्वाचन का परिणाम, जहां तक उसका सम्बन्ध निर्वाचित उम्मीदवार से है, निम्नलिखित द्वारा तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है-
- (i) किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा, या
- (ii) निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से काम कर रहे किसी व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य

व्यक्ति द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किये गये किसी भ्रष्ट आचरण द्वारा, या

(iii) किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण, नामंजूर या खारिज करके या ऐसे किसी मत को, जो शून्य है, ग्रहण करके, या

(iv) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या किये गये आदेशों के उपबंधों की किसी अननुपालना द्वारा, या

(ड) कि वस्तुतः याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिमान्य मतों का बहुमत प्राप्त हुआ था, या

(च) कि यदि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से मत प्राप्त न किये जाते तो याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिमान्य मतों का बहुमत प्राप्त होता।

(2) निर्वाचन याचिका की सुनवाई में जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जायें।

XX

XX

XX

XX

XX

**159. नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना.-** (1) से (3) XX XX XX XX XX

(4) मास्टर विकास योजना, जहां अपेक्षित हो, उन विभिन्न जोनों को भी परिभाषित कर सकेगी जिनमें नगरपालिका विकास के प्रयोजनों के लिए विभाजित की जा सकेगी और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें विकासात्मक कार्य किये जाने हैं, और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें प्रत्येक जोन में भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है (चाहे उसमें विकासात्मक कार्य करते हुए या अन्यथा) और उन प्रक्रमों को उपदर्शित कर सकेगी जिनमें ऐसा कोई विकासात्मक कार्य किया जायेगा और उस आधारभूत प्रतिमान ढांचे के रूप में कार्य करेगी

जिसके अन्तर्गत विभिन्न जोनों के लिए जोन विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी:

परन्तु नगरपालिका, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो किसी जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकेगी।

(5) से (6) XX      XX      XX      XX      XX

XX              XX              XX              XX              XX

**Bill No. 7 of 2020**

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT)  
BILL, 2020**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

*Bill*

*further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-** In sub-section (2) of section 23 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "two thousand rupees", the expression "five thousand rupees" shall be substituted.

**3. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-**In section 28 of the principal Act,-

(i) the existing provisions of section 28 shall be renumbered as sub-section (1); and

(ii) after sub-section (1) so renumbered, the following sub-section (2) shall be added, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force a candidate

who himself or through his proposer, with intent to be elected in an election,-

(i) gives false information which he knows or has reason to believe to be false; or

(ii) conceals any information,

in his nomination paper or in his affidavit or a statement or a declaration which is required to be delivered along with nomination paper before the Returning Officer, as the case may be, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both."

**4. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-** For the existing section 31 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**"31. Election Petition.-** (1) An election petition calling in question an election of any person as member of a Municipality may be presented by any candidate at such election or any elector within one month from the date of election in the prescribed manner to the District Judge having jurisdiction over the municipal area.

**Explanation.-** For the purpose of this section, "elector" means a person who was entitled to vote at the election to which election petition relates, whether he has voted at such election or not.

(2) The election petition may be presented on one or more of the following grounds, namely:-

- (a) that on the date of election a returned candidate was not qualified, or was disqualified, to be chosen to fill the seat under this Act, or
- (b) that any corrupt practice specified in section 29 has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other person, with the consent of a returned candidate or his election agent, or
- (c) that any nomination has been improperly rejected, or

- (d) that the result of the election, in so far as it concerns a returned candidate has been materially affected-
  - (i) by the improper acceptance of any nomination, or
  - (ii) by any corrupt practice committed in the interest of the returned candidate by a person other than that candidate or his election agent or a person acting with the consent of such candidate or election agent, or
  - (iii) by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void, or
  - (iv) by any non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders made thereunder, or
- (e) that in fact the petitioner or some other candidate received a majority of the valid votes, or
- (f) that, but for the votes obtained by the returned candidate by corrupt practices, the petitioner or some other candidate would have obtained a majority of the valid votes.

(3) In hearing the election petition, the District Judge shall follow such procedure and exercise such powers as may be prescribed."

**5. Amendment of section 159, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-** For the existing sub-section (4) of section 159 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) The Master Development Plan may also define the various zones, into which the Municipality having the population of more than one lac may be divided for the purposes of development and indicate the manner in which developmental works are to be carried out, and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used (whether by the carrying out therein developmental works or otherwise), and the stages by which any such developmental works shall be carried out and shall

serve as a basic pattern of frame-work within which the Zonal Development Plans of the various zones may be prepared:

Provided that the Municipality may, if it considers necessary in the public interest, alter the area of any zone:

Provided further that the State Government may *suo-moto* or on the proposal of the Municipality having population of less than one lac, take a decision to prepare the Zonal Development Plan and Sector Plan for such Municipality."

**6. Insertion of section 194-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-** After the existing section 194 and before the existing section 195 of the principal Act, a new section 194-A shall be inserted, namely:-

**"194-A. Power of the State Government to prohibit the construction of building in certain areas without permission.-**

(1) Notwithstanding anything contained in section 194 or any other provisions of this Act, the State Government or any authority authorised by the State Government may, in public interest, by notification published in the Official Gazette, prohibit the construction of any building within a specified area in a Municipality except with the permission granted by the State Government in this behalf:

Provided that such permission shall not be refused in the case of land which has been set apart as a building site by the State Government or Municipality prior to the publication of such notification.

(2) The grant of any permission under sub-section (1) shall be subject to such conditions as may be fixed by the State Government in each case or prescribed generally.

(3) Whoever erects any building contrary to the provisions of sub-section (1) or the conditions imposed under sub-section (2) shall, on conviction, by a competent court, be punished with fine which may extend to twenty thousand rupees.

(4) The State Government or any authority authorised by the State Government may demolish any building erected contrary to the provisions of sub-section (1) or the conditions imposed under sub-section (2)."

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to strengthen the power of the State Election Commission, the State Government has decided to propose certain amendments in the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

The existing sub-section (2) of section 23 provides for fine extending to two thousand rupees for contravention of restrictions on use of vehicles, loud-speakers etc. The existing fine seems to be meagre. Therefore, it has been decided to enhance the fine to five thousand rupees. Accordingly, sub-section (2) of section 23 is proposed to be amended.

The provision of electoral offences exists in section 28. But, if a candidate or his proposer gives false information or conceals any information in his nomination paper or affidavit etc. then such actions are not made offence punishable under this section. So, it has been decided that such actions shall be made offence punishable under this section. Accordingly, provision regarding thereto is proposed to be added in section 28.

It is not clear from the existing provisions of section 31 as to who shall file the election petition against the election of a member. In order to clarify it has been decided that election petition may be filed by a candidate or elector against the member. Therefore, section 31 is proposed to be amended accordingly.

For securing planned and integrated development of the city and balanced use of the land the Municipality shall carry out detailed survey of the city and prepare a Master Development Plan of the Municipalities having the population of more than one lac for preparation of Zonal Development Plan and in case of the Municipalities having the population of less than one lac for preparation of Zonal Development Plan and Sector Plan. Accordingly, sub-section (4) of the section 159 is proposed to be amended suitably.

It has also been decided to empower the State Government to prohibit the construction of building in certain areas in a Municipality without permission granted by it. Accordingly, for



making provision thereto it is proposed to insert a new section 194-A in the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,  
**Minister Incharge.**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN  
MUNICIPALITIES ACT, 2009**

**(Act No. 18 of 2009)**

XX      XX      XX      XX      XX      XX      XX

**23. Restrictions on use of vehicles, loud-speakers etc.-**

(1) XX      XX

(2) If any candidate or his duly authorized election agent contravenes any of the restrictions imposed by the State Election Commission under sub-section (1), he shall, on conviction, be punishable with a fine which may extend to two thousand rupees.

(3) to (4) XX      XX      XX      XX      XX      XX  
XX      XX      XX      XX      XX      XX

**28. Electoral offences.**-The provisions of sections 125, 126, 127,127A, 128, 129,130, 131,132, 132A, 133, 134, 134A, 134B, 135,135A, 135B, 135C and 136 of the Representation of People Act, 1951 (Central Act No. 43 of 1951) shall have effect as if -

- (a) references therein to an election were references to an election under this Act,
- (b) references therein to a constituency were references to a ward,
- (c) in sections 125 and 127, for the expression “under this Act”, the expression “under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 ” and in sections 134 and 136, for the expression "by or under this Act", the expression “by or under the Rajasthan Municipalities Act, 2009” were substituted, and
- (d) in sub-section (1) of section 135B for the words “House of the people or the Legislative Assembly of a State”, the words “ward of the Municipality” were substituted.

XX      XX      XX      XX      XX      XX      XX

**31. Election petition.**-(1) The election of any person as a member of a Municipality may be questioned by an election petition filed within one month from the date of election before the District Judge having territorial jurisdiction over the municipal area on one or more of the following grounds, namely:-

- (a) that on the date of election a returned candidate was not qualified, or was disqualified, to be chosen to fill the seat under this Act, or

- (b) that any corrupt practice specified in section 29 has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other person, with the consent of a returned candidate or his election agent, or
- (c) that any nomination has been improperly rejected, or
- (d) that the result of the election, in so far as it concerns a returned candidate has been materially affected-
  - (i) by the improper acceptance of any nomination, or
  - (ii) by any corrupt practice committed in the interest of the returned candidate by a person other than that candidate or his election agent or a person acting with the consent of such candidate or election agent, or
  - (iii) by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void, or
  - (iv) by any non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders made thereunder, or
- (e) that in fact the petitioner or some other candidate received a majority of the valid votes, or
- (f) that, but for the votes obtained by the returned candidate by corrupt practices, the petitioner or some other candidate would have obtained a majority of the valid votes.

(2) In hearing the election petition, the District Judge shall follow such procedure and exercise such powers as may be prescribed.

XX XX XX XX XX XX XX

**159. Civic Survey and preparation of Master Development Plan and other Plans.-** (1) to (3) xx xx

xx xx xx xx xx

(4) The Master Development Plan may also define the various zones, wherever required, into which the Municipality may be divided for the purposes of development and indicate the manner in which developmental works are to be carried out, and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used (whether by the carrying out therein developmental works or otherwise), and the stages by which any such developmental

works shall be carried out and shall serve as a basic pattern of frame-work within which the Zonal Development Plans of the various zones may be prepared:

Provided that the Municipality may, if it considers necessary in the public interest, alter the area of any zone.

	(5) to (6)	xx	xx	xx	xx	xx
xx	xx					
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

---

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

प्रमिल कुमार माथुर,  
सचिव।

(शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 7 of 2020

**THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT)  
BILL, 2020**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

A

*Bill*

*Further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

**Pramil kumar Mathur,  
Secretary.**



**(Shanti Kumar Dhariwal, Minister-Incharge)**